भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1262

03.12.2024 को उत्तर के लिए नियत

इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन

1262. श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी:
श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) का वर्ष-वार/राज्य-वार कुल वार्षिक उत्पादन कितना रहा है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए शुरू की गई उत्पादन संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं/ कार्यक्रमों/पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान औद्योगिक परिसरों, कारखानों और व्यवसायों की कुल संख्या सहित उक्त योजनाओं/ पीएलआई के लाभार्थियों का राज्य-वार, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश के संदर्भ में ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए शुरू की गई विभिन्न योजनाओं/ कार्यक्रमों/पहलों के प्रयोजनार्थ आवंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश के अंदर उत्पादित स्वदेशी इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए चलाए जा रहे अभियानों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग मंत्री

(श्री एच.डी. कुमारस्वामी)

(क) : सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबिल मैन्युफैक्चरर्स से प्राप्त सूचनानुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का कुल वार्षिक उत्पादन वर्षवार निम्नानुसार हैः

इलेक्ट्रिक वाहनों का कुल वार्षिक उत्पादन [संख्या हज़ार में]					
श्रेणी	**वित्त वर्ष** 2019-20	**वित्त वर्ष** 2020-21	**वित्त वर्ष** 2021-22	**वित्त वर्ष** 2022-23	**वित्त वर्ष** 2023-24
यात्री वाहन[1]	3.30	5.83	22.36	62.28	92.17
वाणिज्यिक वाहन[2]	0.53	0.41	2.22	3.11	8.66
तिपहिया[2]	143.83	91.97	185.38	404.88	632.78
दुपहिया[2]	26.84	44.83	252.78	728.21	948.42
1. एसआईएएम उत्पादन डेटा, 2. *वाहन पंजीकरण डेटा*					

देश में इलेक्ट्रिक वाहन के उत्पादन संबंधी राज्यवार डेटा उपलब्ध नहीं है।

(ख) : सरकार ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नांकित स्कीमें/कार्यक्रम/पहलें की हैं :-

(I) : ऑटोमोबिल और ऑटो संघटक उद्योग विषयक उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई-ऑटो) स्कीम : पीएलआई-ऑटो स्कीम की शुरुआत 15.09.2021 को की गई थी ताकि उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (एएटी) उत्पादों के मामले में भारत की विनिर्माण क्षमता बढ़ सके। इसका बजटीय परिव्यय 5 वर्ष की अवधि के लिए 25,938 करोड़ रूपए था। स्कीम का ब्योरा https://heavyindustries.gov.in/pli-scheme-automobile-and-auto-component-industry पर है।

(II) : उन्नत रसायन सेल (एसीसी) विनिर्माण हेतु उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम: सरकार ने देश में एसीसी विनिर्माण संवर्धन हेतु 12 मई,2021 को पीएलआई-एसीसी स्कीम को अनुमोदित किया जिसका बजटीय परिव्यय 18,100 करोड़ रूपए था। इस स्कीम में 50 गीगावाट घंटे की संचयी एसीसी बैटरी विनिर्माण क्षमता स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। स्कीम का ब्योरा https://heavyindustries.gov.in/pli-scheme-national-programme-advanced-chemistry-cell-acc-battery-storage पर है।

(III) भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कार विनिर्माण संवर्धन स्कीम: भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कार विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कार विनिर्माण संवर्धन स्कीम को 15.03.2024 को अधिसूचित किया गया था। इस स्कीम के अंतर्गत अनुमोदित आवेदकों को पूरी तरह से निर्मित इकाइयों को 5 वर्ष के लिए 15 प्रतिशत के न्यूनित सीमा-शुल्क पर आयात की अनुमति दी जाएगी। स्कीम का विवरण https://heavyindustries.gov.in/scheme-promote-manufacturing-electric-passenger-cars-india-0 पर उपलब्ध है।

(ग) : इस स्कीम के अंतर्गत देश के किसी राज्य विशेष पर ज़ोर नहीं है। 28.11.2024 की स्थिति के अनुसार, पीएलआई-ऑटो स्कीम के अंतर्गत ऐसे 82 अनुमोदित आवेदक हैं जिनके पास भारत में कई विनिर्माण केंद्र/इंजीनियरिंग अनुसंधान तथा डिजाइन इकाइयां हैं। अनुमोदित आवेदकों से प्राप्त सूचनानुसार, इस स्कीम के अंतर्गत विनिर्माण केंद्रों की राज्यवार संख्या निम्नानुसार हैः-

क्र.सं.	राज्य	विनिर्माण इकाइयों की संख्या
1	आंध्रप्रदेश	4
2	असम	1
3	दिल्ली	1
4	गुजरात	12
5	हरियाणा	37
6	झारखड	4
7	कर्नाटक	28
8	केरल	1
9	मध्यप्रदेश	6
10	महाराष्ट्र	77
11	पुडुच्चेरी	1
12	पंजाब	2
13	राजस्थान	8
14	तमिलनाडु	46
15	तेलंगाना	4
16	उत्तरप्रदेश	13
17	उत्तराखंड	12
कुल		**257**

पीएलआई-एसीसी स्कीम के अंतर्गत अनुमोदित लाभार्थी प्रतिष्ठानों की कुल संख्या का राज्यवार ब्योरा निम्नानुसार हैः

क्र.सं.	**राज्य**	**अनुमोदित आवेदक**
1.	गुजरात	2
2.	कर्नाटक	1
3.	तमिलनाडु	1

(घ) : पीएलआई-ऑटो स्कीम की शुरुआत 15.09.2021 को 5 वर्ष के लिए 25,938 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ की गई थी। 28.11.2024 की स्थिति के अनुसार, इस स्कीम के अंतर्गत प्राप्त आवेदक दावों के लिए कोई संवितरण नहीं किया गया है। भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कार विनिर्माण संवर्धन स्कीम में आवेदकों के लिए कोई वित्तीय परिव्यय नहीं है और इसमें केवल इलेक्ट्रिक यात्री कारों के आयात पर मूलभूत न्यूनित सीमा-शुल्क दर का लाभ परिकल्पित है,बशर्ते स्कीम दिशानिर्देश का अनुपालन किया गया हो। पीएलआई-एसीसी स्कीम दिसंबर,2024 तक गेस्टेशन अवधि में है। अतः, अब तक कोई संवितरण नहीं हुआ है।

(ङ) : सरकार परामर्शों/कॉनक्लेवों सहित देश में घरेलू स्तर पर उत्पादित इलेक्ट्रिक वाहनों की ख़रीद को प्रोत्साहित करने के लिए नियमित रूप से अभियान चलाती है। भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित मुख्य कार्यक्रमों का ब्योरा निम्नानुसार हैः-

1. 16 जनवरी,2024 को आयोजित पीएलआई ऑटो कॉनक्लेव
2. भारत में इलेक्ट्रिक ट्रक अंगीकरण संबंधी ओईएम परामर्श 8 मई,2024 को
3. ई-बस के लिए भावी रोडमैप पर स्टेकहोल्डर परामर्श 9 मई,2024 को
4. भारत के इलेक्ट्रिक वाहन परिदृश्य के रूपांतरण में फेम की सफलता पर आयोजन 18 सितंबर,2024 को
5. पीएम ई-ड्राइव की शुरुआत से पूर्व, ओईएम/डीलरों के साथ परामर्श 28-29 सितंबर,2024 को।

****